रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270768
CG-DL-E-09032026-270768

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1108] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947
No. 1108] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

का.आ. 1160 (अ).— भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1933 (अ), तारीख 2 मई, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर इससे प्रभावित होने वाले संभाव्य सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 2 मई, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना की प्रतिक्रिया में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

और, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य 0.0274 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले के कनयन्नूर तालुक के एर्नाकुलम गांव में अवस्थित है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन 31 अगस्त, 2004 के जी.ओ. (एम.एस.) संख्यांक 42/04/एफ एवं डब्ल्यू.एल.डी. के अनुसार अभयारण्य को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।

और, यह अभयारण्य पश्चिमी तट (एसए) भौगोलिक क्षेत्र के अधीन आता है और इस क्षेत्र में मौजूद असली मैंग्रोव और मैंग्रोव सहयोगी प्रजातियाँ एविसेनिया ऑफ़िसिनैलिस, राइज़ोफोरा म्यूक्रोनाटा, एकेंथस इलिसिफ़ोलियस और एक्रोस्टिचम ऑरीयम हैं और मंगलवनम पक्षी अभयारण्य में तीस से अधिक पुष्प प्रजातियां हैं, जिनमें प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय *संघ* के अनुसार संकटग्रस्त प्रजातियां भी सम्मिलित हैं। अभयारण्य में उपलब्ध अन्य प्रमुख वनस्पतियाँ हैं: *अल्टरनेथेरा एसपी, अजाडिराक्टा इंडिका, ब्रुगुएरा परविफ्लोरा, कैरियोटा यूरेन्स, सेइबा पेंटेंड्रा, कोकिनिया ग्रैंडिस, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, डेरिस ट्राइफोलिएट, एंटरोलोबियम सैमन, यूकेलिप्टस*

एसपी, फिकस गिब्बोसा, हिबिस्कस टिलियासस, हाइडनोकार्पस अल्पाइन, हाइग्रोफिला एसपी, मोरिंडा टिनक्टोरिया, पॉलीएल्थिया लोंगिफोलिया, पोंगामिया पिनाटा, टेक्टोना ग्रैंडिस, टर्मिनलिया कैटप्पा, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इत्यादि;

और, यह अभयारण्य को "कोच्चि का हरा फेफड़ा" भी कहा जाता है, तथा इमाकुलम जैसे व्यस्त शहर के बीच बहुलता में पक्षियों, चमगादड़ों, अन्य जानवरों और मैंग्रोव सहित अन्य पुष्प प्रजातियों को सहारा देने के लिए इसका अस्तित्व अति महत्वपूर्ण है और अभयारण्य में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ निम्नलिखित हैं: बड़ा जलकाग (*फैलाक्रोकोरैक्स कार्बो*), छोटा जलकाग (*फैलाक्रोकोरैक्स नाइजर*), डार्टर (*एनहिंगा रूफा*), ग्रे हेरॉन (*अर्डिया सिनेरिया*), बैंगनी बगुला (*अर्डिया पुरपुरिया*), मवेशी बगुला (*बुबुलकस इबिस*), बड़ा बगुला (*अर्डिया अल्बा*), छोटा मीडियन बगुला (*एग्रेटा इंटरमीडिया*), छोटा बगुला (*एग्रेटा ज़ेटा*), कम सीटी वाली चैती (*डेंड्रोसाइग्ना जावानिका*), काले पंखों वाली पतंग (*एलानस कैर्यूलस*), पारिया पतंग (*मिल्वस माइग्रेंस*), भारतीय शिकरा (*एक्सीपिटर बैडियस*), क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल (*स्पिलोर्निस चीला*), रेडवॉटल्ड लैपविंग (*वेनेलस इंडिकस*), मार्श सैंडपाइपर (*ट्रिंगा स्टैग्नाटिलिस*), वुड सैंडपाइपर (*ट्रिंगा ग्लेरोला*), ब्लू रॉक पिजन (*कोलंबा लिविया*), स्पॉटेड डव (*स्ट्रेप्टोपेलिया चिनेंसिस*), व्हाइटब्रेस्टेड किंगफिशर (*हेल्सियन स्मिरनेंसिस*), गोल्डन ओरिओल (*ओरियोलस ओरिओलस*), ब्लैक ड्रोंगो (*डाइक्रुरस मैक्रोसेर्कस*), पर्पल सनबर्ड (*नेक्टैरिनिया एशियाटिका*), हाउस स्पैरो (*पासर डोमेस्टिकस*), छोटा हरा बारबेट (*मेगालिमा विरिडिस*), क्रिमसन ब्रेस्टेड बारबेट (*मेगालिमा हेमासेफला*), ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक (*डिनोपियम बेंगालेंस*), ऐशी क्राउन्ड फिंच लार्क (*एरेमोप्टेरिक्स ग्रिसिया*), स्काई लार्क (*अलौडा एसपी.*), वायर-टेल्ड स्वैलो (*हिरुंडो स्मिथी*), रूफस ट्री पाई (*डेंड्रोसिटा वेगाबुंडा*), हाउस क्रो (*कोर्वस स्प्लेंडेंस*), इत्यादि;

और, विशिष्ट पौधों और जानवरों के अद्भुत संयोजन वाले मैंग्रोव अपने पारिस्थितिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं और वे तट और बैकवाटर के किनारे की भूमि को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये विशेष पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के समुद्री और मीठे पानी के जीवों को उनके नर्सरी और भोजन के मैदान के रूप में समायोजित करते हैं। राज्य में केवल नौ सौ हेक्टेयर मैंग्रोव क्षेत्र बचा है और राज्य के अधिकांश मैंग्रोव क्षेत्र या तो निजी स्वामित्व या राजस्व भूमि के अधीन आते हैं और विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों की वजह से अत्यधिक प्रभावित हैं;

और, यह अभयारण्य, ज्वारीय आर्द्रभूमि के 2.74 हेक्टेयर के छोटे से क्षेत्र के साथ, मैंग्रोव वनस्पति को आश्रय देता है, जिसमें मैंग्रोव की पांच प्रजातियां और 25 अन्य पुष्प प्रजातियां सम्मिलित हैं और मैंग्रोव वन का यह टुकड़ा प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की 97 प्रजातियों के पक्षियों का निवास हुआ करता था और यह देखना दिलचस्प है कि व्यस्त एर्नाकुलम शहर के बीच में स्थित इस छोटे से क्षेत्र का उपयोग जलीय पक्षियों की प्रजातियों द्वारा घोंसले बनाने के लिए किया जाता है;

और, आर्द्रभूमि पक्षियों के अतिरिक्त, प्रवासी पक्षियों की अत्यधिक संख्या मौसमी रूप से मंगलवनम पक्षी अभयारण्य में आती है और यह अन्य पक्षियों के लिए एक घोंसला बनाने का स्थान है और यहाँ चमगादड़ों (भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी) की एक कॉलोनी है जिसमें लगभग 1000 चमगादड़ हैं और मंगलवनम पक्षी अभयारण्य में लूत्रा लूत्रा (यूरेशियन ऊदबिलाव) के सिवाय कोई दुर्लभ, लुप्तप्राय, स्थानिक या संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है, जो प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार निकट संकटग्रस्त श्रेणी में है लेकिन पिछले दशक से इस स्तनपायी के कोई संकेत नहीं हैं;

और जबकि, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के क्षेत्र, विस्तार और सीमाओं को, जो कि पैरा 1 में पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट हैं, संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है, उक्त पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणी और उनके प्रचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल के मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की सीमा के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरें निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं -- (1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार सीमा मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की सीमा के आसपास शून्य से 0.55 किलोमीटर तक भिन्न होता है और पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का क्षेत्र 0.122 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें दक्षिणी रेलवे की भूमि भी सम्मिलित है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है: -

निर्देशांक	**विस्तार (कि.मी. में)**	
	संरक्षित क्षेत्र के केंद्र से	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से
उत्तर	0	0
दक्षिण	0.226	0.11
पूर्व	0.263	0.16

पश्चिम	0	0
उत्तर - पूर्व	0.679	0.55
उत्तर - पश्चिम	0	0
दक्षिण - पूर्व	0.271	0.215
दक्षिण - पश्चिम	0	0

संरक्षित क्षेत्र की विभिन्न दिशाओं में 0 किमी के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन विस्तार का औचित्य-

(क) मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की उत्तरी सीमा के साथ पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार शून्य है, क्योंकि यह मेसर्स भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के स्वामित्व वाली भूमि से घिरा है, जहां वृक्षावरण अपर्याप्त है।

(ख) मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की पश्चिमी सीमा मेसर्स सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट और डॉ. सलीम अली रोड के स्वामित्व वाली भूमि से मिलती है, जहां वृक्षावरण अपर्याप्त है।

(ग) मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा मेसर्स केरल राज्य आवास बोर्ड के स्वामित्व वाली भूमि से मिलती है, इसके अतिरिक्त वृक्षावरण अपर्याप्त है।

(घ) मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के साथ पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार शून्य है, क्योंकि यह केरल उच्च न्यायालय और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान सहित पुरानी इमारतों से घिरा हुआ है।

(2) मंगलवनम पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के मानचित्र **उपाबंध - I क से I ग** में संलग्न हैं।

(3) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का सीमा विवरण **उपाबंध -II** में संलग्न है।

(4) **सारणी क और ख** में उल्लिखित मंगलवनम पक्षी अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक **उपाबंध -III** के रूप में संलग्न हैं।

(5) मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में कोई ग्रामीण बस्ती सम्मिलित नहीं है और यह क्षेत्र राजस्व विभाग (एर्नाकुलम गांव) के प्रशासनिक नियंत्रण में है और भारतीय रेलवे (दक्षिणी रेलवे, चेन्नई) के आधिपत्य या स्वामित्व के अधीन है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना, ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना के उपबंधों अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप तैयार की जाएगी, यदि कोई हों।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय तथ्यों के एकीकरण करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी: -

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) स्थानीय स्वशासन विभाग;

(iv) कृषि;

(v) राजस्व;

(vi) शहरी विकास;

(vii) पर्यटन;

(viii) ग्रामीण विकास;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

(x) नगर पालिका;

(xi) पंचायती राज;

(xii) लोक निर्माण विभाग ; और

(xiii) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना, सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल स्रोतो के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

(10) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होने तक, सभी नए संनिर्माण और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों को मानीटरी समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय - राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात: -

(1) **भू-उपयोग. –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं जिसके अधीन गृह वास सम्मिलित; और

(v) पैरा-4 के अधीन दिए गए दिए गए संवर्धित क्रियाकलापः

परंतु यह और कि राज्य सरकार अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, जिसका अनुपालन क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुज्ञा नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में उपसंज्ञात किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

(ख) वनरोपण और आवास पुनर्स्थापन क्रियाकलापों के माध्यम से अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों को पुनः वनरोपण करने का प्रयास किया जाएगा।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत. - आंचलिक महायोजना में आने वाले सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना ऐसी रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन. – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

i. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

ii. आंचलिक महायोजना को तैयार और अनुमोदित किए जाने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) नैसर्गिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 जो, समय समय पर संशोधित किए गए हैं, के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएंगा।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), जो समय समय पर संशोधित किया गया है, के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार जो समय समय पर संशोधित किया गया है, अनुपालन किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट. - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन. –** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियों को पर्यावास-अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध निगमित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय जनित प्रदूषण. –** यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां. -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और केंद्रीय सरकार की अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित अधिसूचना, संख्यांक 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में तत्समय प्रवृत्त विधियों द्वारा, शासित होंगे, अर्थात्.-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, वाणिज्यिक उत्खनन, पत्थर उत्खनन, रेत खनन और अपघर्षण इकाइयां ।p	(क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर घरों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय सभी नए और विद्यमान (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और उनके तोड़ने की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया जाता है। (ख) खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के

		आदेश (टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 202/1995) और तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 435/2012); और आईए संख्या 1000 वर्ष 2003 तारीख 03 जून, 2022। आईए संख्या 131377 वर्ष 2022, तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के निर्णय और आईए संख्या 162023, 162034, 162154 और 162155 वर्ष 2025 में तारीख 23 जुलाई 2025 के पश्चात् के निर्णय या खनन के संबंध में कोई और आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी- संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार या ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापनाओं, अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
7.	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों इत्यादि की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलापों जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारे, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ने के क्रियाकलाप करना।	प्रतिषिद्ध। परंतु कि, वन और वन्यजीव विभाग गैर- वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वृत्तचित्र बनाने के लिए वन, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता सृजित करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकेगा।
9.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
10.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी: परंतु कि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन

		क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी: (ख) परंतु कि, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में उल्लिखित क्रियाकलापों सहित स्थानीय लोगों को उनके उपयोग के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी, इसका उपयोग आतिथ्य सरकार संयोजनों (होटलों, होमस्टे तथा रिसोर्ट) के किए नहीं किया जाना चाहिए: परंतु कि, गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलो मीटर के परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अपनी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई सम्बद्ध केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगें।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण के साथ शमन के उपाय करना।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगें।
20.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञा दी गई है।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का जल निकायों में निस्सारण नहीं होने दिया जायेगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के

		प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की कड़ाई से मानीटरी और विनियमित की जानी चाहिए।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी- पर्यटन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पॉलीथिन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित, जहां कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए और नॉनवोवन प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	जैविक गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	जिला कलेक्टर, अर्नाकुलम	अध्यक्ष, पदेन;
2.	क्षेत्रीय अधिकारी, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
3.	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे केरल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
4.	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे केरल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
5.	मंगलवनम संरक्षण समिति के अध्यक्ष या सचिव	सदस्य, पदेन;
6.	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को केरल वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य, पदेन;
7.	केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
8.	नगर नियोजन अधिकारी, कोच्चि निगम	सदस्य, पदेन;
9.	वन्यजीव संरक्षक	सदस्य–सचिव, पदेन;

6. मानीटरी समिति के कार्य: (1) मानीटरी समिति, उन क्रियाकलापों को, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची मे सम्मिलित है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर संवीक्षा करेगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए यथास्थिति केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगी।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो उपपैरा (2) में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा की गई अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य-सचिव या सम्बद्ध कलेक्टर या सम्बद्ध उप वन संरक्षक, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामला-दर मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए सम्बद्ध विभाग के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञयों, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को **उपाबंध-IV** पर संलग्न प्रोफ़ार्मा के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मानीटरी समिति को उसके क्रियाकलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय आदि के आदेश- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

उपाबंध -Iक

केरल राज्य में संरक्षित क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थान

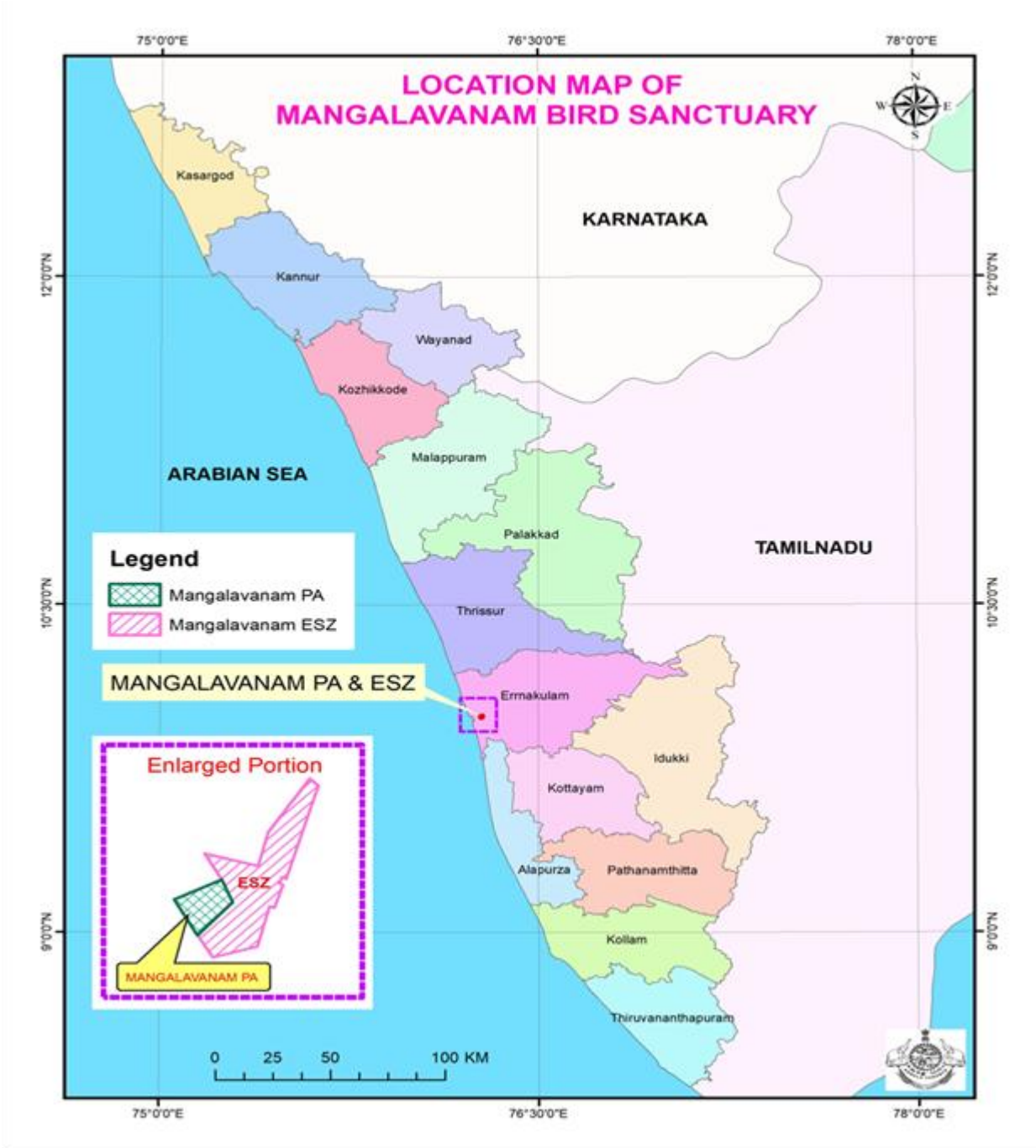

उपाबंध-Iख

टोपोशीट पर संरक्षित क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का मानचित्र

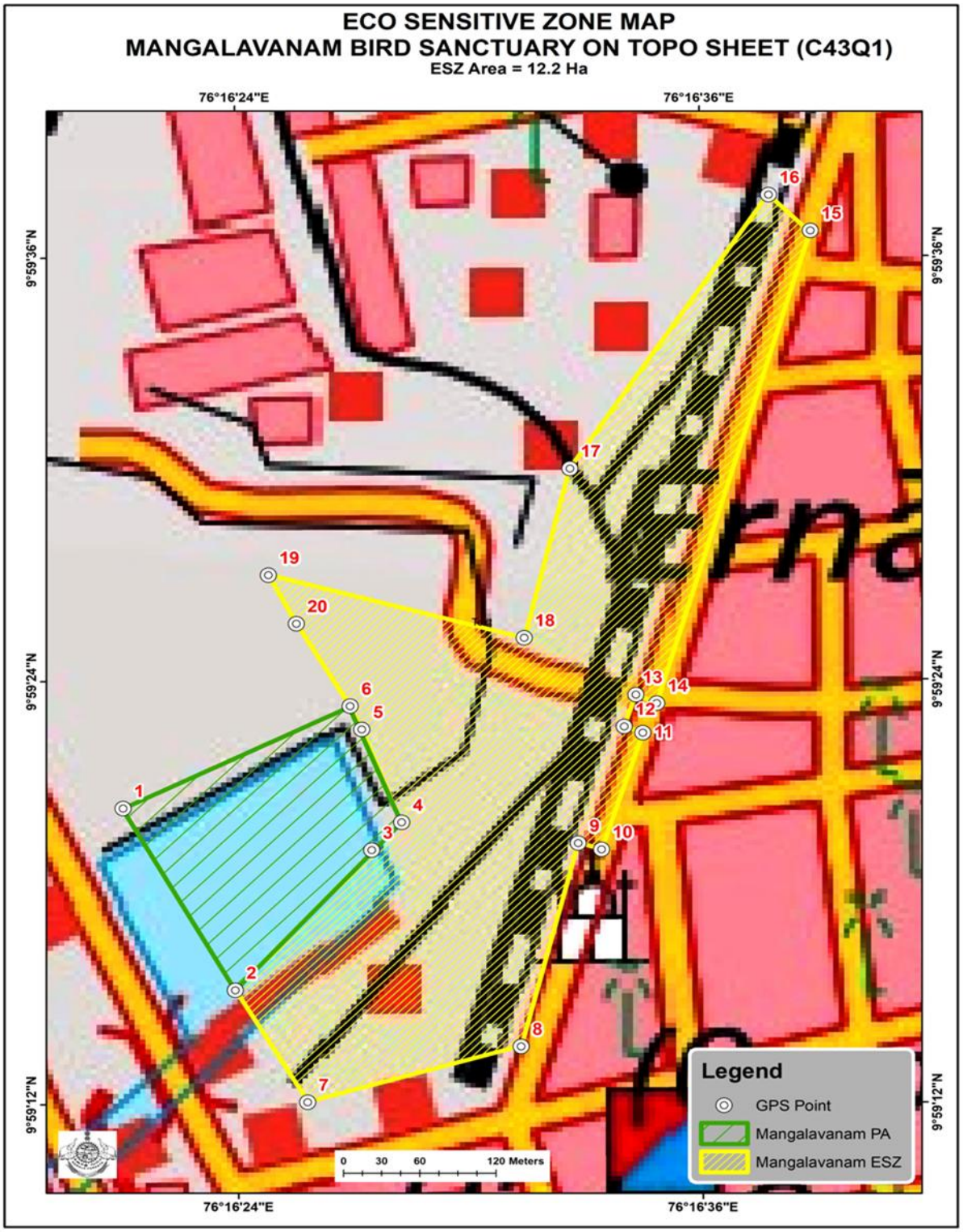

उपाबंध -Iग

गूगल अर्थ बिम्ब विधान पर मंगलवनम पक्षी अभ्यारण और इसका पारिस्थितिकी संवेदी जोन

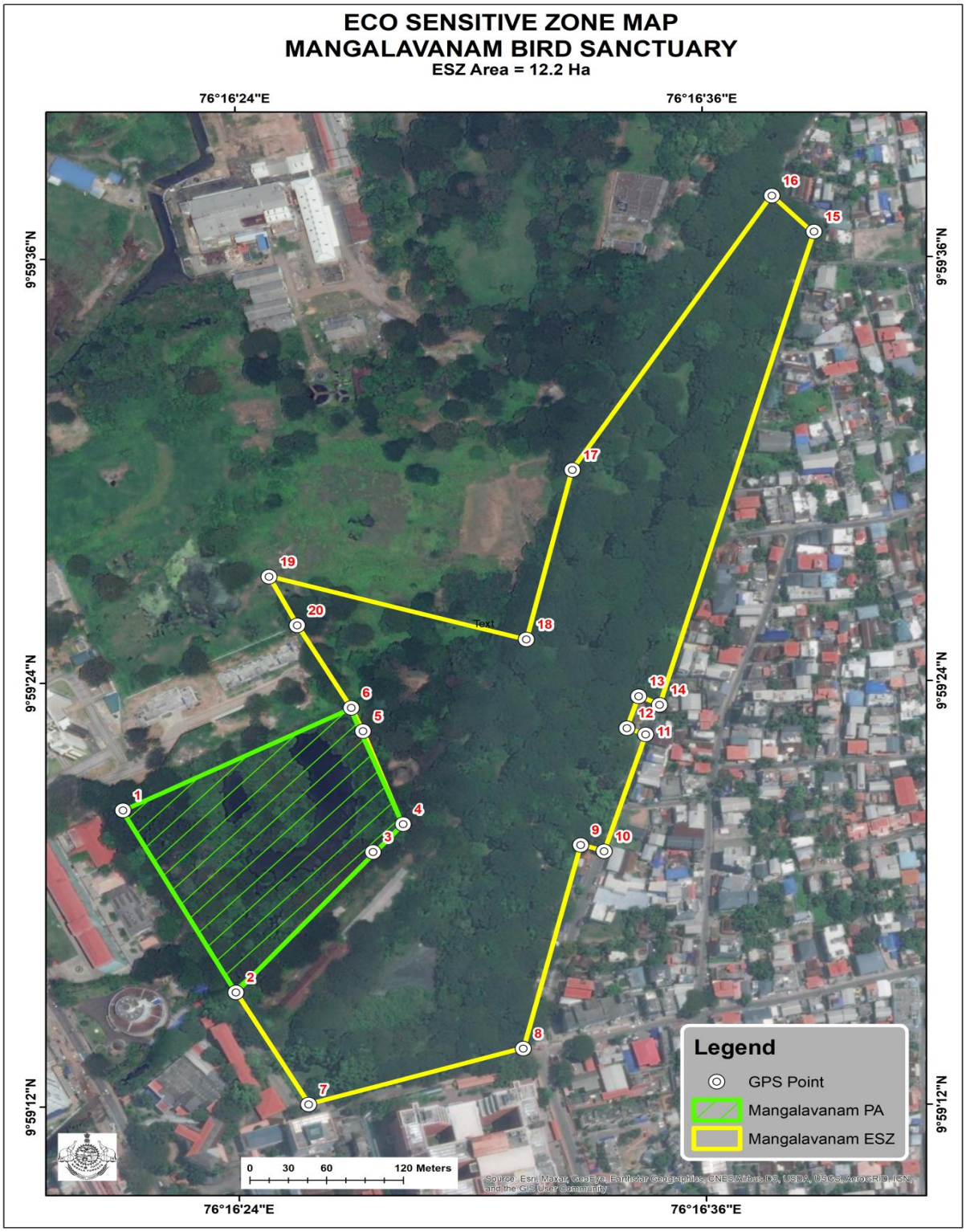

उपाबंध -II

मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा दक्षिण-पश्चिम में राममोहन पैलेस की सीमा पर 9059.201' उ, 76016.427' पू निर्देशांक वाले बिंदु से शुरू होती है। फिर, यह लाइन 9059.227' उ, 76016.519' पू से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व में सलीम अली रोड से होकर गुजरती है। फिर, यह 9059.323' उ, 76016.544' पू और 9059.320' उ, 76016.554' पू (मथाई मंजूरन रोड) पर दक्षिण-पूर्व से होकर गुजरती है। पूर्व दिशा में, यह 9059.375' उ, 76016.572' पू (मथाई मंजूरन रोड) से होकर गुजरता है। फिर यह 9059.612' उ, 76016.645' पू और 9059.629' उ, 76016.627' पू निर्देशांकों के साथ उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ता है। फिर, यह निर्देशांक 9059.500' उ, 76016.541' पू से गुजरता है और केरल राज्य आवास बोर्ड की संपत्ति के साथ सीमा साझा करता है और यह निर्देशांक 9059.420' उ, 76016.521' पू और 9059.450' उ, 76016.411' पू के साथ आगे बढ़ता है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमा उत्तर में 9059.427' उ, 76016.423' पू निर्देशांकों के साथ समाप्त होती है, जहां यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संपत्ति से लगती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा विभिन्न दिशाओं में निम्नलिखित द्वारा संलग्न है:

1. उत्तर-पश्चिम – भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2. पश्चिम – सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट और डॉ. सलीम अली रोड

3. दक्षिण – पुराना एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन

4. पूर्व – पुराना एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन

5. उत्तर-पूर्व – पुराना एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन

उपाबंध -III

सारणी क. मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.स.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	9⁰ 59.340' उ	76⁰ 16.348' पू
2	9⁰ 59.254' उ	76⁰ 16.396' पू
3	9⁰ 59.320' उ	76⁰ 16.455' पू
4	9⁰ 59.333' उ	76⁰ 16.468' पू
5	9⁰ 59.377' उ	76⁰ 16.451' पू
6	9⁰ 59.388' उ	76⁰ 16.446' पू

सारणी ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.स.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	स्थान
1	9⁰ 59.201' उ	76⁰ 16.427' पू	राम मनोहर पैलेस
2	9⁰ 59.227' उ	76⁰ 16.519' पू	डॉ. सलीम अली रोड का प्रारंभ
3	9⁰ 59.323' उ	76⁰ 16.544' पू	माथाई मंजूरन सड़क
4	9⁰ 59.320' उ	76⁰ 16.554' पू	
5	9⁰ 59.375' उ	76⁰ 16.572' पू	
6	9⁰ 59.378' उ	76⁰ 16.564' पू	
7	9⁰ 59.393' उ	76⁰ 16.569' पू	
8	9⁰ 59.389' उ	76⁰ 16.578' पू	
9	9⁰ 59.612' उ	76⁰ 16.645' पू	
10	9⁰ 59.629' उ	76⁰ 16.627' पू	
11	9⁰ 59.500' उ	76⁰ 16.541' पू	केएसएचबी सीमा
12	9⁰ 59.420' उ	76⁰ 16.521' पू	
13	9⁰ 59.450' उ	76⁰ 16.411' पू	
14	9⁰ 59.427' उ	76⁰ 16.423' पू	बीपीसीएल सीमा

उपाबंध –IV

कार्रवाई की गई रिपोर्ट का रूपविधान : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार (परिस्थिति संवेदी जोन-वार) । ब्यौरें उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरें एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरें एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

[फा.सं. 25/32/2017-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2026

S.O. 1160 (E).- **WHEREAS**, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,sub-section (ii) notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number S.O. 1993(E), dated 2nd may, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the dated 2nd may, 2025;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Mangalavanam Bird Sanctuary, spread over an area of 0.0274 square kilometres, is located in Ernakulam Village of Kanayannoor Taluk of Ernakulam district in the State of Kerala and the Sanctuary was notified as Bird sanctuary as per G. O. (MS) No. 42/04/F & WLD dated 31st August, 2004 under section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

AND WHEREAS, This Sanctuary falls under West Coast (SA) biographic zone and the true mangrove and mangrove associate species that exist in the area are *Avicenia officinalis*, *Rhizophora mucronata*, *Acanthus ilicifolius* and *Acrostichum aureum* and there are more than thirty floral species, which also includes threatened species as per International Union for Conservation of Nature in the Mangalavanam Bird Sanctuary. The other major flora available in the Sanctuary are: *Alternanthera* sp, *Azadirachta indica*, *Bruguiera parviflora*, *Caryota urens*, *Ceiba pentandra, Coccinia grandis*, *Cuscuta reflexa*, *Derris trifoliate*, *Enterolobium saman*, *Eucalyptus* sp, *Ficus gibbosa*, *Hibiscus*

tiliaceus, *Hydnocarpus alpine*, *Hygrophila* sp, *Morinda tinctoria, Polyalthia longifolia*, *Pongamia pinnata*, *Tectona grandis*, *Terminalia catappa*, *Tinospora cordifolia*, etc.;

AND WHEREAS, This Sanctuary is also known as the "green lung of Kochi" its existence supporting a good number of avifauna, bats, other animals and other floral species including mangroves amidst a busy city like Emakulam is very vital and the important avifaunal species found in the Sanctuary are as follows: large cormorant (*Phalacrocorax carbo*), little cormorant (*Phalacrocorax niger*), darter (*Anhinga rufa*), grey heron (*Ardea cinerea*), purple heron (*Ardea purpurea*), cattle egret (*Bubulcus ibis*), large egret (*Ardea alba*), smaller median egret (*Egretta intermedia*), little egret (*Egretta zetta*), lesser whistling teal (*Dendrocygna javanica*), black winged kite (*Elanus caeruleus*), pariah kite (*Milvus migrans*), Indian shikra (*Accipiter badius*), crested serpent eagle (*Spilornis cheela*), redwattled lapwing (*Vanellus indicus*), marsh sandpiper (*Tringa stagnatilis*), wood sandpiper (*Tringa glareola*), blue rock pigeon (*Columba livia*), spotted dove (*Streptopelia chinensis*), whitebreasted kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), golden oriole (*Oriolus oriolus*), black drongo (*Dicrurus macrocercus*), purple sunbird (*Nectarinia asiatica*), house sparrow (*Passer domesticus*), small green barbet (*Megalaima viridis*), crimson breasted barbet (*Megalaima haemacephala*), black rumped flameback (*Dinopium benghalense*), ashy crowned finch lark (*Eremopterix grisea*), sky lark (*Alauda* sp.), wire-tailed swallow (*Hirundo smithii*), Rufous tree pie (*Dendrocitta vagabunda*), house crow (*Corvus splendens*), etc;

AND WHEREAS, the mangroves with a unique combination of specialised plants and animals are known for their ecological functions and they play an important role in stabilizing the land along the coast and backwaters. These specialised ecosystems accommodate a variety of marine and freshwater organisms as their nursery and feeding grounds. There is only nine hundred hectare of mangrove areas left within the State and most of the mangrove areas within the state fall under either private ownership or revenue land and are worst disturbed due to varieties of developmental activities;

AND WHEREAS, This Bird Sanctuary with a small extent of 2.74 hectare of tidal wetland supports mangrove vegetation which comprises of five species of mangroves and 25 other floral species and this patch of mangrove forest used to support an avifauna of 97 species comprising of both migratory and resident birds and it is fascinating to note that the small area in the midst of busy Ernakulam city is used by species of aquatic avifauna for nesting;

AND WHEREAS, apart from wetland birds, considerable number of migratory avian species visits Mangalavanam Bird Sanctuary seasonally and it is a nesting site for other avian colonial nesters and there is a colony of bats (Indian flying fox) consisting of approximately 1000 number of bats and there are no Rare, Endangered, Endemic or Threatened species in Mangalavanam Bird Sanctuary except *Lutra lutra* (Eurasian otter), which is in Near Threatened category as per *International Union for Conservation of Nature* but there are no signtings of this mammal from last decade;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mangalavanam Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an Eco-Sensitive Zone around the boundary of Mangalavanam Bird Sanctuary of Kerala (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-Sensitive Zone –** (1) The extent of Eco-Sensitive Zone varies from **zero to 0.55 kilometre** around the boundary of Mangalavanam Bird Sanctuary and the area of Eco-Sensitive Zone is **0.122 square kilometre** inclusive of the land belonging to Southern Railway. The Extent of Eco-sensitive zone in different directions is given below: -

DIRECTION	**EXTENT (in km)**	
	From the centre of Protected Area	From the boundary of Protected Area
North	0	0
South	0.226	0.11
East	0.263	0.16
West	0	0

North-East	0.679	0.55
North-West	0	0
South-East	0.271	0.215
South-West	0	0

Justification for Eco-sensitive Zone extent of 0 km in different directions of the protected area-

(a) The Eco-sensitive Zone along the northern boundary of Mangalavanam Bird Sanctuary is of zero extent because it is bordered by land owned by M/s Bharat Petroleum Ltd., where there is insufficient tree cover.

(b) The western boundary of Mangalavanam Bird Sanctuary is bordered by land owned by M/s Central Marine Fisheries Institute and Dr. Salim Ali Road, where there is insufficient tree cover.

(c) The north-western boundary of Mangalavanam Bird Sanctuary is bordered by land owned by M/s Kerala State Housing Board, additionally there is insufficient tree cover.

(d) The Eco-Sensitive Zone along the south-western boundary of Mangalavanam Bird Sanctuary is of zero extent because it is bordered by old buildings, including the Kerala High Court and the Central Marine Fisheries Research Institute.

(2) The Maps of the Mangalavanam Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure- I A to I C.**

(3) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

(4) The geo-coordinates of the prominent locations of Mangalvanam Bird Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone mentioned at Table A and B is appended as **Annexure-III.**

(5) Eco-sensitive Zone of Mangalavanam Bird Sanctuary doesnot comprises of any village settlement and the area is under the administrative control of the Revenue Department (Ernakulam Village) and is under the possession or ownership of Indian Railways (Southern Railways, Chennai).

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. –(1)The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in conformity to the provisions of this notification.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in accordance with the provisions of this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan: -

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Local Self Government Department;

(iv) Agriculture;

(v) Revenue;

(vi) Urban Development;

(vii) Tourism;

(viii) Rural Development;

(ix) Irrigation and Flood Control;

(x) Municipality;

(xi) Panchayati Raj;

(xii) Public Works Department; and

(xiii) Kerala State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local community's livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Until the preparation of the Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone, all new construction and other developmental activities shall be referred to the Monitoring Committee.

3. Measures to be taken by the State Government- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.–** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central/the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone;

(a) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Departments of Environment and Forests of the State Government;

(b) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(c) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

(d) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

i. all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

ii. until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and as amended from time to time.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and as amended from time to time.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and as amended from time to time.

(9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a. the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016. The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b. Safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste. –** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016.

(12) **Construction and demolition waste management. -** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel such as Compressed Natural Gas, Liquefied Petroleum Gas, etc.

(16) **Industrial units.** – (a) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette,

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under and other notifications, laws and acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner specified in the Table below, namely: -

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012 dated the 21st April, 2014 and IA No. 1000 of 2003 dated the 3rd June, 2022, IA No. 131377 of 2022 judgment dated the 26th April, 2023 and 28th April, 2023, and subsequent IA Nos. 162033 and 162034 of 2025 with IA Nos. 162154 & 162155 of 2025 order dated 23rd July 2025.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use, production, or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of Solid Waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No Solid Waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste is permitted within Eco-sensitive zone and further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospital etc. is prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited.
8.	Under taking other activities related to tourism like flying over the protected area and its Eco-sensitive zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, and other aircrafts etc.	Prohibited. Provided that, the Forest and Wildlife Departments may use drone for creating awareness on forest, environment and wildlife conservation by making documentaries for non-commercial purpose.
9.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
10.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer; (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. It should not be used for hospitality purposes (hotels, homestays and resorts): Provided that, the construction activity related to small-scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any; (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
13.	Small-scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable law.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per applicable laws, where the thickness of the carry bag should not be less than 120 microns and Nonwoven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

1.	District Collector, Ernakulam	Chairman, *ex-officio*;
2.	Regional Officer, Kerala State Pollution Control Board	Member, *ex-officio;*
3.	A representative of Non-governmental Organisation having expertise in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Kerala State Government from time to time every three years	Member;
4.	An expert in the area of Ecology & Environment from reputed Institution or University of the State to be nominated by the Kerala State Government from time to time every three years	Member;
5.	President or Secretary of Mangalavanam Samrakshana Samithi	Member, *ex-officio*;
6.	An expert in the area of Wildlife Conservation to be nominated by the Director, Kerala Forest Research Institute	Member, *ex-officio*;
7.	A representative of the Kerala State Biodiversity Board	Member, *ex-officio*;
8.	Town Planning officer, Kochin Corporation	Member, *ex-officio*;
9.	Wildlife Warden	Member Secretary, *ex-officio*;

6. Functions of the Monitoring Committee: (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per proforma appended at **Annexure IV**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

Annexure- I A

Location of the Protected Area and its ESZ in the State of Kerala

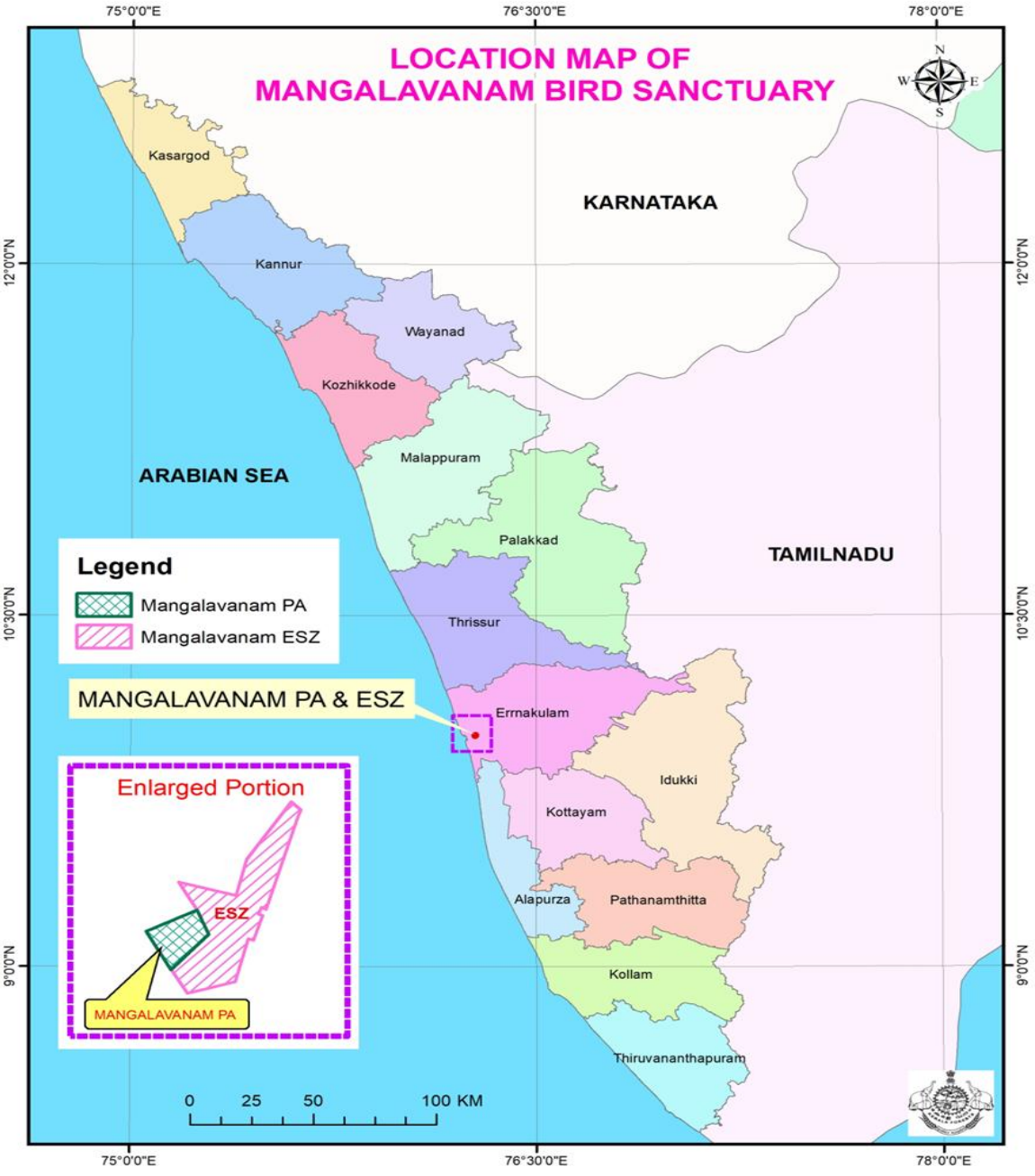

Annexure- I B

Map of the Protected Area and its Eco-Sensitive Zone overlaid on toposheet

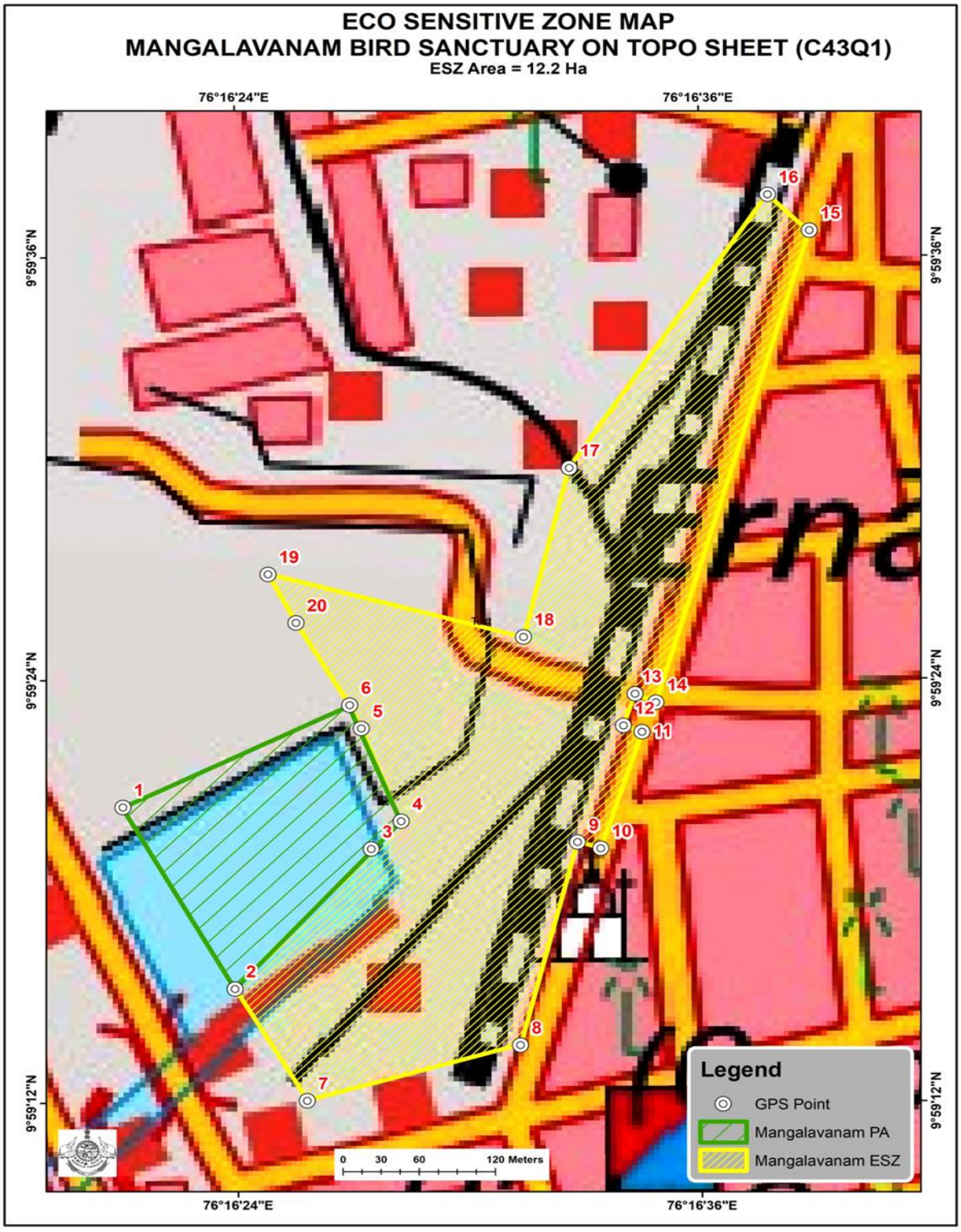

Annexure- I C

Google Earth imagery of the Mangalavanam Bird Sactuary and its Eco-Sensitive Zone

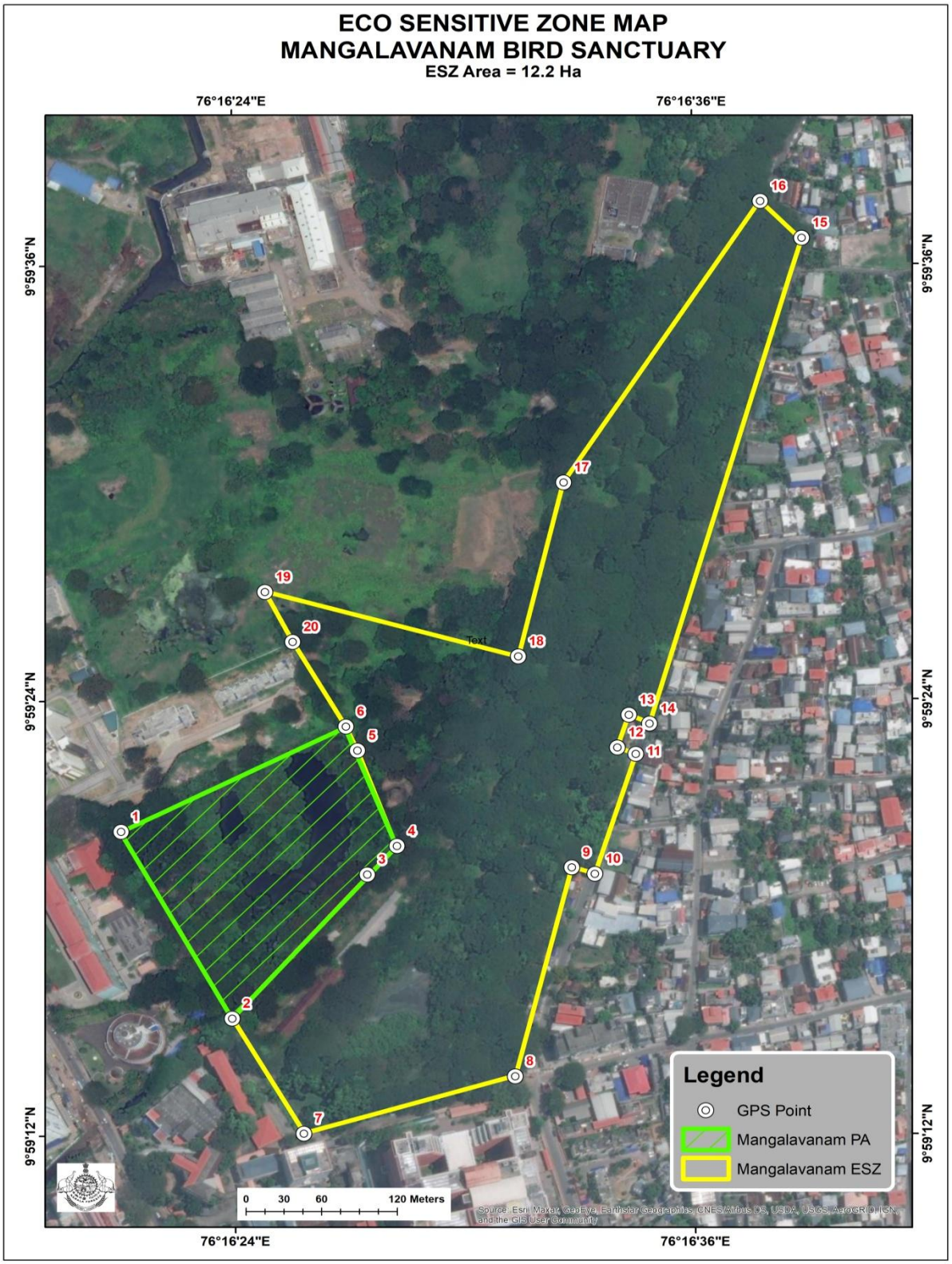

Annexure- II

Boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Mangalvanam Bird Sanctuary

The boundary line of Eco sensitive Zone of Mangalavanam Bird Sanctuary starts from a point with coordinates 9°59.201' N, 76°16.427' E at the border of Rammohan Palace in the South-west. Then, the line runs through Sal◦im Ali Road in the South-East starting from 9°59.227' N, 76°16.519' E. Then, it runs through South-East at 9°59.323' N, 76°16.544' E and 9°59.320' N, 76°16.554' E (Mathai Manjuran Road). In the East direction, it runs through 9°59.375' N, 76°16.572' E (Mathai Manjuran Road). Then, the boundary runs through 9°59.378' N, 76°16.564' E and 9°59.393' N, 76°16.569'E (Mathai Manjuran Road- Railway Quarters) and it continues towards East with coordinates 9°59.389' N, 76°16.578' E. Then it turns towards North-East with coordinates 9°59.612' N, 76°16.645' E and 9°59.629' N, 76°16.627' E. Then, it passes through coordinates 9°59.500' N, 76°16.541' E and shares boundary with Kerala State Housing Board property and it continues with coordinates 9°59.420' N, 76°16.521' E and 9°59.450' N, 76°16.411' E. The boundary of Eco sensitive Zone area ends in the North with coordinates 9°59.427' N, 76°16.423' E where it is bordered with the property of Bharat Petroleum Corporation Ltd. The ESZ boundary is adjoined in different directions by the following:

1. North-West – Bharat Petroleum Corporation Ltd.
2. West – Central Marine Fisheries Institute and Dr. Salim Ali Road
3. South – Old Ernakulam Railway Station
4. East – Old Ernakulam Railway Station
5. North-East – Old Ernakulam Railway Station

Annexure- III

Table A. Geo-coordinates of the prominent locations of Mangalavanam Bird Sanctuary

Sr. No.	Latitude (N)	Longitude (E)
1	9° 59.340' N	76° 16.348' E
2	9° 59.254' N	76° 16.396' E
3	9° 59.320' N	76° 16.455' E
4	9° 59.333' N	76° 16.468' E
5	9° 59.377' N	76° 16.451' E
6	9° 59.388' N	76° 16.446' E

Table B. Geo-coordinates of the prominent locations of Eco-Sensitive Zone

Sr. No.	Latitude (N)	Longitude (E)	Location
1	9° 59.201' N	76° 16.427' E	Ram Mohan Palace
2	9° 59.227' N	76° 16.519' E	Dr. Salim Ali road starts
3	9° 59.323' N	76° 16.544' E	Mathai Manjuran Road
4	9° 59.320' N	76° 16.554' E	
5	9° 59.375' N	76° 16.572' E	
6	9° 59.378' N	76° 16.564' E	
7	9° 59.393' N	76° 16.569' E	
8	9° 59.389' N	76° 16.578' E	
9	9° 59.612' N	76° 16.645' E	
10	9° 59.629' N	76° 16.627' E	
11	9° 59.500' N	76° 16.541' E	KSHB Boundary
12	9° 59.420' N	76° 16.521' E	
13	9° 59.450' N	76° 16.411' E	
14	9° 59.427' N	76° 16.423' E	BPCL Boundary

Annexure- IV

Proforma of the Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act,1986.
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/32/2017-ESZ]
Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.09 16:23:50 +05'30'